कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1161 / 2022 / 10–11 / 255 भोपाल, दिनांक 18/1/23

प्रति,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
खण्डवा, मध्यप्रदेश।

विषयः– **खरगोन एवं खण्डवा जिले में इन्दौर–एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौड़ीकरण हेतु बड़वाह वनमण्डल की 3.20 हेक्टेयर वनभूमि एवं खण्डवा वनमण्डल की 0.477 हेक्टेयर वन भूमि तथा 0.461 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि कुल 4.138 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत्।**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक / 6-MPB 031/2022-BHO/ दिनांक 17.01.2023

----0----

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल ने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 06 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

अतः प्रकरण में भारत सरकार के चाहे अनुसार आपसे संबंधित जानकारी बिन्दुवार जानकारी 02 प्रतियों में वन मण्डलाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को शीघ्र भिजवायें, ताकि प्रकरण में स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

17/01/2023

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1161 / 2022 / 10–11 / 256 भोपाल, दिनांक 18/1/23

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) खण्डवा वृत्त, खण्डवा, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, बड़वाह / खण्डवा की ओर भेजकर लेख है कि बिन्दु क्रमांक 02 एवं 06 की जानकारी आपसे संबंधित है। अतः आवेदक संस्थान से जानकारी प्राप्त कर अपने–अपने वन मण्डल की एकजाई जानकारी शीघ्र भिजवायें, ताकि प्रकरण में स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर सूचनांर्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

17/01/2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

I/37474/2023

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ INTEGRATED REGIONAL OFFICE, BHOPAL
Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL – 462016 (M.P.)
TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

सत्यमेव जयते

प्रकृतिः रक्षति रक्षिता
Nature Protects if She is Protected

क्रमांक: 6-एमपीबी 031/2022-बीएचओ/ दिनांक : 17/01/2023.

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)
मध्यप्रदेश शासन,
वल्लभ भवन, भोपाल,
(मध्यप्रदेश) ।

विषय: खरगोन एवं खण्डवा जिले में इन्दौर-एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/ चौड़ीकरण हेतु 4.138 हेक्टेयर (3.20 हे. बड़वाह वनमण्डल, 0.477 हे. वनभूमि तथा 0.461 हे. राजस्व वनभूमि खण्डवा वनमण्डल) वनभूमि परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत ।

संदर्भ: नोडल अधिकारी, म.प्र. का पत्र क्रमांक एफ-5/1161/2022/10-11/3208 दिनांक 19/09/2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित अन्य वांछित जानकारियाँ/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है । अतः निम्नलिखित जानकारियाँ/ दस्तावेज प्रेषित करने का कष्ट करें :-

1. Complete KML file of layout plan in forest and non-forest area shall be submitted/ uploaded on webportal.
2. Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.
3. Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) needs to be submitted.
4. No objection certificates of concerned departments (Irrigation, PWD/NHAI etc) need to be submitted.
5. Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan is required.
6. Since violation has been reported, a detailed report in accordance with clause 1.21 of FCA guidelines needs to be submitted, w.r.t. Extent/ Area of violation. Date of reporting of violation. Date when cognizance /action was taken. Authority on whose orders violation was committed. Action taken by the State Forest Department.

विवेक 17/1

I/37474/2023

If the permission for use of forest land for non-forestry purposes has been granted by a State Authority then a report with full details of violation, authority responsible for violation etc shall be submitted by the State Government on the recommendation of the Forest Department so as to initiate action under section 3A and/or 3B of FC Act, as may be applicable, against the authority causing the violation of Forest (Conservation) Act, 1980.

भवदीय

(हरे राम कुमार)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपिः प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।

Signed by Hare Ram Kumar
Date: 17-01-2023 12:33:08
Reason: Approved